न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम. संख्या 2022/357

1. श्रीमती राजू देवी पुत्री नानगराम पत्नी हरिनारायण जाति जांगिड, निवासी ग्राम चिथवाडी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. सुमन देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति खाती निवासी गवाड का मोहल्ला, ग्राम कुकरा हसील आमेर जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम जयपुर अपील संख्या 41/2016 दिनांक 08 06 2022 उनवानी राजू देवी बनाम सुमन देवी एंव नामान्तकरण संख्या 64 दिनांक 18-05-2015 द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुरके विरुद्व ।

उपस्थित--

1. श्री देवेश कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री अजीत सैनी वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-06-2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर के नामा0 संख्या 64 दिनांक 18.05.2015 को गलत बताते हुये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय द्वारा अपील खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 08.06.2022 को दिये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 08.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 64 दिनांक 18–05–2015 ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 33, 191 कुल दो कुल रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा जगदीश नारायण पुत्र गोपाल जाति खाती के नाम दर्ज थी। जिसके बाबत एक वाद उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ व राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील विचाराधीन है। खातेदार जगदीश नारायण की मृत्यु 5–08–2013 को होने के बाद गलत तरीके से नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील में निवेदन किया कि तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया जबकि विभिन्न न्यायालयो में इसी भूमि के बाबत वाद विचाराधीन थे तथा गलत वसीयत के आधार पर दिनांक 18–05–2015 को नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया तथा समस्त कार्यवाही राजस्व लोक अदालत में की गई है जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार को प्रकरण 135 (2) में दर्ज कर सुनवाई की जानी थी एवं निर्णय पारित करने से पूर्व वसीयत में उल्लेखित गवाहो के बयान आदि नही लिये गये। विवादित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है तथा मृतक जगदीश नारायण, गोपाल के गोद नही जा सकता तथा जगदीश नारायण पि.मु. गोपाल द्वारा की गई वसीयत प्रारम्भ से ही अवैध होने के कारण नामान्तकरण तस्दीक नही किया जा सकता था। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर गौर नही किया कि विवादित आराजीयात के बाबत राजस्व न्यायालयो में नियमित वाद/अपील विचाराधीन है किसी भूमि के बाबत यदि राजस्व न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो नामान्तकरण की प्रक्रिया को स्थगित किया जाना आवश्क है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम जयपुर अपील संख्या 41/2016 दिनांक 08–06–2022 उनवानी राजू देवी बनाम सुमन देवी एंव नामान्तकरण संख्या 64 दिनांक 18–05–2015 द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर को अपास्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया किअपीलाधीन का नामान्तकरण तहसीलदार जमवारामगढ आदेश दिनांक 18.05.2015 के आधार पर तस्दीक किया गया है। जो नामान्तरकरण खोला गया वह रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खोला गया है जो सही व न्यायोचित है अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत को किसी अन्य न्यायालय में कोई चुनौती नही दी गई है। यदि वसीयत रजिस्टर्ड नही होती तो आक्षेप लगाये जा सकते थे परन्तु ऐसा नही है। ऐसी स्थिति में गवाहो द्वारा साबित करने की आवश्यकता नही रही है । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 65/2013 बउनवानी राजू देवी बनाम नानगराम दिनांक 17.06.2014 को निर्णित हो चुकी है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण को तस्दीक करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम जयपुर द्वारा सभी तथ्यों व कब्जे व रिकॉर्ड की जॉच पश्चात् ही विधिवत के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार जगदीश नारायण पुत्र गोपाल जाति खाती की विरासत को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि नामान्तरकरण संख्या 64 मृतक खातेदारजगदीश नारायणद्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में की गई रजिस्ट्रर्ड वसीयत के आधार पर तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 18.05.2015 की पालना में मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर पटवारी एवं गिरदावर रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत कर तस्दीक किया गया । अपीलांट द्वारा उक्त रजि० वसीयत जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है । तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

वसीयत के आधार पर ही अपीलाधीन नामान्तकण स्वीकार किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं की गई है एवं अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों व रिकॉर्ड एवं वसीयत का अवलोकन कर ही नामा0 संख्या 64 दिनांक 18.05.2015 को विधिसम्मत मानते हुये अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये हैं। नामान्तरकरण एक फिसीकल प्रोसेडिंग है इसके तहत किसी के अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अगर रेस्पो0 को अधिकार तय कराने हैं तो सक्षम न्यायालय से ही अधिकारों को निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती हैं। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।